FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0055 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/04/2024 18:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	8
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/04/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 20:17 बजे **Time To (समय तक):** 14:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/04/2024 **Time (समय):** 16:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/04/2024 18:07:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** Toal Plaja Dhhara Shahapur, Alawar

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Bhupendar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Sube Singh

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 04/03/1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Village Menpur, Mundawar, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Village Menpur, Mundawar, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7976288080

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Doctor Chhman Prakesh		पिता:Late Ramswaroop	1. D 417,Suray Nager,ALWAR,RAJASTHAN,IND
2	Pradeep Kumar		पिता:Let. Ramovatar	1. Village Badhee ki Dhani,Post Ranaoth,Mundavar,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA
3	Aakub Khan		पिता:Na Malum	1. Village Bari,TATARPUR,खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		85,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 85,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.2024 को समय 08.17 पी.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल को जरिये मोबाईल सूत्र ने अवगत कराया कि सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा मे पदस्थापित डॉक्टर श्री चमन प्रकाश किसी व्यक्ति से एम.एल.सी. मे गहरी चोट नही दिखाने की एवज में दो लाख रूपया रिश्वत की मॉग कर प्राप्त करेगा। सूत्र द्धारा वक्त करीब 08.35 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल को जरिये मोबाईल सूत्र ने पुनः अवगत कराया कि संदिग्ध श्री डॉक्टर चमन प्रकाश शायद रात्रि को अलवर बुलाकर एम.एल.सी. मे गहरी चोट नही दिखाने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। सूत्र की उक्त सूचना पर सूत्र को समझाईश की गई कि आप परिवादी से मन उप अधीक्षक पुलिस का संपर्क करावे अथवा उसकी मोबाईल से मन पुलिस उप अधीक्षक से वार्तालाप करावे जिस पर सूत्र ने अवगत कराया कि मैने पूर्व मे भी उक्त व्यक्ति से ट्रेप कार्यवाही हेतु वार्ता की थी किंतु उक्त व्यक्ति ने ट्रेप कार्यवाही हेतु मना कर दिया एवं मुझसे भी कहा कि आपको मेरे द्धारा डॉक्टर चमन प्रकाश को दी जा रही रिश्वत राशि के बारे मे किसी को भी नही बताना है। मन उप अधीक्षक पुलिस ने सूत्र को हिदायत दी गई कि जब भी उक्त व्यक्ति संदिग्ध डॉक्टर चमन प्रकाश को रिश्वत राशि देवे तब मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करे एवं यथा संभव हो सके तो रिश्वत के लेन देन का ऑडियो/वीडियों रिकार्डिग कर जरिये व्हॉटसअप मन उप अधीक्षक पुलिस को भिजवाये। समय 09.00 पीएम पर संभावित कार्यवाही को देखते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस ने अधीक्षण अभियंता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड भिवाडी को दे स्वतंत्र गवाह भिजवाने हेतु पत्र जारी कर जरिये ई-मेल प्रेषित किया गया। उक्त पत्र की पालना में अधीक्षण अभियंता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड भिवाडी ने श्री संजय कुमार तकनीकी सहायक द्धितिय एवं श्री विकास कुमार कार्यालय अधीक्षक द्धितिय कार्यालय सहायक अभियंता (एचटीएम)जयपुर डिस्कॉम भिवाडी को पाबंद कर अवगत कराया कि दिनांक 03.04.2024 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जायेगे। तत्पश्चात दिनांक 03.04.2024 को वक्त 08.00 एएम पर श्री संजय कुमार तकनीकी सहायक द्धितिय एवं श्री विकास कुमार कार्यालय अधीक्षक द्धितिय कार्यालय सहायक अभियंता (एचटीएम) जयपुर डिस्कॉम भिवाडी हाजिर कार्यालय आये जिनकों कार्यालय मे बैठाया गया एवं सूत्र द्धारा दी गई सूचना से अवगत करा कर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। समय 10.27 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल को जरिये मोबाईल सूत्र ने अवगत कराया कि कल दिनांक 02.04.2024 को रात्रि के समय करीब 10.30-11 पीएम0 के आस पास डॉक्टर चमन प्रकाश को मेरे सामने अलवर पहुंच कर नमन होटल के पास सूर्य नगर के पास एक काली पन्नी में एक व्यक्ति द्धारा एक लाख रूपये की रिश्वत राशि दी है। रिश्वत राशि देने के बाद उक्त व्यक्ति द्धारा पुलिस थाना ततारपुर द्धारा एम.एल.सी हेतु दी गई तहरीर पर एम.एल.सी मे गहरी चोट नही दिखाने बावत वार्ता की गई है। संदिग्ध डॉक्टर चमन प्रकाश द्धारा शेष राशि की कहने पर उक्त व्यक्ति द्धारा शेष राशि आज दिनाक को प्रातः करीब 09.30 ए.एम.के आस पास देना तय हुआ था। उक्त व्यक्ति द्धारा आज करीब 09.30 ए.एम. के आस पास डॉक्टर चमन प्रकाश को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर पर जाकर उक्त व्यक्ति द्धारा एक लाख रूपये दिये है। उक्त राशि संदिग्ध डॉक्टर से बरामद हो सकती है। आप शीघ्रताशीघ्र नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करे। सूत्र द्धारा पुनः जरिये मोबाईल अवगत कराया कि जिस व्यक्ति द्धारा डॉक्टर चमन प्रकाश सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर को 09.30 ए.एम.के आस पास एक लाख रूपये दिये है उसका मैने वीडियो भी बनाया है। सूत्र के उक्त कथन पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने सूत्र को उसके द्धारा बनाये गये वीडियो क्लिप की मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर जरिये व्हाटसअप भिजवाने के निर्देश दिये। सूत्र द्धारा अवगत कराया कि मै अभी आपको मेरे द्धारा बनाई गई वीडियो क्लिप जरिये व्हॉटसअप भिजवा रहा हॅू आप शीघ्रताशीघ्र सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर पहुचं कर कानूनी कार्यवाही करे अन्यथा सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र 02.00 पीएम. पर बंद हो जायेगा और सदिग्ध डॉक्टर चमन प्रकाश अपनी कार से अलवर चला जायेगा। सूत्र द्धारा मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल के मोबाईल फोन नम्बर 8800511972 पर सूत्र द्धारा उसके द्धारा 09.30 ए.एम. के आस पास एक व्यक्ति द्धारा संदिग्ध डॉक्टर चमन प्रकाश को दी गई रिश्वत राशि एक लाख रूपये की तैयार की गई वीडियो क्लिप जरिये व्हॉटसअप भिजवाई। वक्त 12.05 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल बाद उच्चाधिकारियों के आदेश मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार तकनीकी सहायक

द्धितिय, श्री विकास कुमार कार्यालय अधीक्षक द्धितिय व एसीबी स्टाफ के सदस्य श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री सतीष कुमार हैड कानि.11, श्री राजवीर सिंह कानि. 443,, श्री निहाल सिंह कानि. 595, श्री रामजीत सिंह कानि. 206 के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेष कुमार एवं एक प्राईवेट वाहन के अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय भिवाडी से ततारपुर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 01.40 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय हमाराहियान गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ के सदस्य के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर के सामने पहुॅचां। सूत्र द्धारा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि डॉक्टर चमन प्रकाश, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर के अन्दर है एवं वह व्यक्ति रिश्वत राशी 1,00,000/- रूपये प्राप्त कर चुका हैं एवं वह करीब डयूटी टाईम 02.00 पीएम के आस पास खत्म होने पर अपनी वाहन संख्या आर जे 02 सीसी 5873 कार निषान माइक्रा से अलवर जायेगा। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान व स्टाफ के अपनी मौजूदगी छिपाते हुये। डॉक्टर चमन प्रकाश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से निकलकर अलवर जाने के ईन्तजार मे मुकीम हुये। तत्पश्चात वक्त करीब 02.30 पीएम पर एक व्यक्ति सफेद पैन्ट व काली टी-शर्ट पहने हुये वाहन संख्या आर जे 02 सीसी 5873 कार निशान माइक्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में खडी गाडी के पास आया और ड्राईविंग शीट पर बैठ गया इतने में ही अन्य व्यक्ति जिसने सफेद शर्ट व गहरी खाकी पैन्ट पहने उक्त वाहन के पास आया और ड्राईविंग शीट की बगल की शीट पर बैठ गया और अलवर की तरफ रवाना हो गये। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त गाडी के आगे आगे रवाना होकर वक्त 02.50 पीएम पर टोल प्लाजा डहरा शाहपुर पर पहूंचा। वाहन को टॉल प्लाजा पर रूकवा कर वाहन को साईड मे लिया गया। वाहन में ड्राईविंग शीट पर बैठे व्यक्ति एवं ड्राईविंग शीट के बगल में बैठे व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये। ड्राईविंग शीट पर बैठे व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉक्टर चमन प्रकाश पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जाति जाटव उम्र 33 साल निवासी डी 417 सूर्यनगर अलवर हाल डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा मोबाईल नम्बर 9468683784 होना बताया। ड्राईविंग शीट की बगल की शीट पर बैठे व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. प्रवीण धानिया पुत्र श्री दीपराम धानिया, जाति मेघवाल उम्र 39 वर्ष निवासी प्लॉट नं. 99 षिवाजी पार्क अलवर हाल डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा मोबाईल नम्बर 9414772582 होना बताया। स्वतंत्र गवाह श्री विकास कुमार के मोबाईल से परिचय, जामा तलाशी आदि की विडियो ग्राफी गवाह एवं स्टाफ से करवाई गई। डॉक्टर श्री चमन प्रकाश से किसी व्यक्ति से एमएलसी बनाने की एवज में किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशी लेनदेन बाबत पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशी नहीं ली है। डॉक्टर श्री चमन प्रकाश को वाहन से नीचे उतारा गया एवं उसके पहने हुये परिधान की जामा तलाशी गवाहान श्री विकास कुमार कार्यालय अधीक्षक द्धितिय एवं श्री संजय कुमार तकनीकी सहायक द्धितिय से लिवाई तो डॉक्टर चमन प्रकाश की पहनी हुई बैरंग सफेद पेन्ट की बगल की बायीं जैब में 500-500 रूपये के दो गड्डियां मिली। उक्त राशी के बारे में डॉ. चमन प्रकाश से पूछा गया तो बताया कि मैं 1,00,000/-रूपये महेष मैडीकल स्टोर ततारपुर से उधार लेकर आया हूं। पुनः अपने आप ही बताया कि मैं 85000/- रूपये महेष मैडीकल स्टोर ततारपुर से उधार लेकर आया हूं। पुनः डॉ. चन्द्र प्रकाश से उक्त राशी बाबत पूछा तो अपने उपरोक्त तथ्य ही बताये। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से गिनवाया तो एक गड्डी में 500-500 रूपये के 100 नोट एवं दूसरी गड्डी में 500-500 रूपये के 70 नोट इस प्रकार कुल 85000/-रूपये है। उक्त राशी गवाह श्री विकास कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई। डॉ. चमन प्रकाश पहनी हुई बैरंग सफेद पेन्ट की पीछली जेब में एक छोटा ब्राउन कलर का पर्स मिला जिसकी तलाशी दोनो गवाहान से लिवाई गई तो 1850/-नगद, स्वयं का आधार कार्ड एवं आईडी कार्ड, एसबीआई बैंक का स्वयं का डेबिट कार्ड, स्वयं का क्रेडिट कार्ड पीएनबी कार्ड मिले उक्त राशी व आईडी सुरक्षित गवाह श्री विकास कुमार के पास रखवाई गई। ड्राईविंग शीट की बगल में बैठे डॉ. प्रवीण धानिया से डॉ. चमन प्रकाश के साथ आने का कारण पूछा तो बताया कि मैं षिवाजी पार्क अलवर में रहता हूं। इस कारण हम अक्सर साथ आते जाते रहते है। मैं इनके साथ अलवर जा रहा था। संदिग्ध डॉ. श्री चमन प्रकाश से सूत्र द्धारा भिजवाई गई विडियो क्लिप को दिखाकर विडियों क्लिप में रिश्वत लेनदेन में अपनी जेब में राशी रखते हुये व्यक्ति के बारे में पूछा तो बताया कि इस व्यक्ति का नाम प्रदीप कुमार है, यह हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर पर संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर है। यह व्यक्ति ग्राम बडली का रहने वाला है एवं ततारपुर चौराहे के पास ही खैरथल रोड पर मिनी ग्रीन लैण्ड होटल किराये पर लेकर रहता है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान मय स्टाफ व डॉ. चमन प्रकाश एवं डॉ. प्रवीण धानिया के टोल प्लाजा डहरा शाहपुर से रवाना होकर ततारपुर चौराहे के पास ही खैरथल रोड पर मिनी ग्रीन लैण्ड होटल पर पहूंचा। यहां एक व्यक्ति नीली टी शर्ट व काली पैन्ट पहने हुये बैठा हुआ मिला। उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर परिचय पूछा तो अपना नाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामोवतार जाति मेघवाल उम्र 29 साल निवासी ग्राम बडली की ढाणी थाना ततारपुर जिला खैरथल तिजारा बताया। उक्त प्रदीप कुमार को रूबरू गवाहान, स्टाफ व डॉ. चमन प्रकाश के समक्ष सूत्र द्धारा भिजवाई गई विडियों क्लिप दिखाकर रिश्वत राशी लेनदेन के बारे मे पूछा तो बताया कि आज करीब 09.30 एएम के आस पास डॉ. चमन प्रकाश मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे गैलरी से बाहर लेकर गये वहां पर दो तीन व्यक्ति आये और डॉक्टर चमन प्रकाश से वार्तालाप की उक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष ही एमएलसी के बारे में वार्तालाप की और उन्होने

एमएलसी की वार्तालाप करके एक व्यक्ति जिसने लुंगी एवं कुर्ता पहन रखा था ने 500-500 रूपये की दो गड्डी अपनी पहनी हुई लुंगी की आंट से निकालकर डॉ. चमन प्रकाश को देने लगा तब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यह राशी लेकर अपने पास रख लो, जिस पर मैने उस व्यक्ति से राशी लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रख ली, उसके बाद वे व्यक्ति वहां से चले गये। उनके जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि स्टोर की चाबी लेकर आओ तब मैं अपने कम्प्यूटर के पास रखी स्टोर की चाबी लेकर गया तो डॉक्टर साहब ने स्टोर खुलवाया और मुझे कहा कि इस राशी में से 15000/-रूपये निकालकर स्टोर के बाहर खडे एक व्यक्ति को देने के लिए कहा मैने 15000/-रूपये उस व्यक्ति को दे दिये। शेष 85000/-रूपये डॉक्टर साहब के कहने पर मैने डॉक्टर चमन प्रकाश को दे दिये थे। डॉक्टर चमन प्रकाश ने जिस व्यक्ति को 15000/-रूपये दिलवाये थे। उक्त व्यक्ति को मैं नही जानता हूं। मेरे सामने आने पर मैं पहचान जाऊंगा। मन उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहीयान व प्रदीप कुमार, निविदाकर्मी को हमराह लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर के सामने महेष मेडीकल स्टोर पर पहूंचा। मेडीकल स्टोर पर दो व्यक्ति बैठे हुये मिले, जिनमें महेष कुमार के बारे मे पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम ही महेष कुमार है, उक्त महेष कुमार को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये पूर्ण पता पूछा तो बताया कि मेरा नाम महेष कुमार पुत्र श्री चन्द्रसिंह जाति जाट उम्र 48 साल, निवासी गांव रानौठ पुलिस थाना ततारपुर जिला खैरथल तिजारा हाल प्रोपराईटर महेष मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर ततारपुर होना बताया। उक्त श्री महेष कुमार से डॉक्टर चमन प्रकाश की तरफ ईषारा कर पूछा गया कि क्या ''इस व्यक्ति द्धारा आज आपसे 85000/-रूपये बतौर उधार लिये है, तो श्री महेष कुमार बताया कि मैं इनको जानता हूं। यह हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर में डॉक्टर है, इनका नाम डॉक्टर चमन प्रकाश है। डॉक्टर चमन प्रकाश को आज मैने कोई राशी उधार नहीं दी है तथा यह डॉक्टर साहब चमन प्रकाश झूठ बोल रहा है। मेडीकल स्टोर के सामने काफी भीड एकत्रित होने लगी। सुरक्षा की दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान मय स्टाफ मय डॉक्टर चमन प्रकाश, डॉ. प्रवीण धानिया एवं प्रदीप कुमार संविदा कर्मी तथा महेष कुमार प्रोपराईटर मेडिकल स्टोर के मेडीकल स्टोर से रवाना होकर वक्त करीब 04.30 पीएम पर पुलिस थाना ततारपुर पहूंचा। यहां अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। डॉक्टर चमन प्रकाश से पुनः उसके पास मिली 85000/-रूपये राशी के बारे में पूछा गया तो बताया कि मेरे पास पुलिस थाना ततारपुर के प्रकरण में पुलिस थाना की तहरीर पर श्री होषियार सिंह पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति अहीर उम्र 64 साल निवासी बडी की एमएलसी बनाने की प्राप्त हुई थी। उक्त तहरीर पर एक व्यक्ति जिसका नाम भूपेन्द्र कुमार है वह कल दिनांक 02.04.2024 को वक्त करीब 06.30 पीएम पर दो मेव जाति के व्यक्तियों को साथ लेकर मेरे पास आया और मुझे कहा कि जो पुलिस थाना ततारपुर से होषियार सिंह के नाम की एमएलसी की तहरीर आई है, उसकी एमएलसी नहीं बनानी है तब मैने उन्हे कहा कि तहरीर आने पर एमएलसी तो बनानी पडेगी और मैने उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से बाहर भेज दिया। तत्पश्चात मेरे अलवर पहूचने पर करीब समय 10-10.30 पीएम के आस पास भूपेन्द्र कुमार का मेरे मोबाईल पर फोन आया और मुझे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते है, तब उनको मैने उनसे मिलने को मना किया तब उन्होने कहा कि आप कुछ भी मत करना किन्तु हम अलवर आ रहे है हम आपसे मिलना चाहते है। करीब 40-45 मिनट बाद उसका पुनः फोन आया ओर कहा कि हम हनुमान चौराहे अलवर पर है आप कहा हो, जिस पर मैने कहा कि मैं वही आ रहा हूं, फिर मैं नमन होटल के पास पहूचा तो भूपेन्द्र एवं अन्य दो तीन व्यक्ति मेरी कार में आकर बैठ गये और उन्होने अपने पास से एक काले रंग की पोलीथीन दी और कहा कि इसमे रूपये है हमारा काम कर देना, मेरे मना करने के बावजूद भी डालकर चले गये, और कहा कि हम सुबह मिलेंगे। आज दिनांक 03.04.2024 को वक्त करीब 09.30 एएम के आसपास मेरे पास पुनः 100000/-रूपये लेकर आये और उक्त राशी मेरे द्धारा प्रदीप कुमार निविदाकर्मी को दिलवा दी तत्पष्चात मैरे कहने पर प्रदीप कुमार ने 15000/-रूपये श्री भूपेन्द्र कुमार को दे दिये एवं शेष राशी 85000/-रूपये लेकर मैने अपनी पहनी पेन्ट की जेब में रख लिये। आप द्धारा मेरी पैन्ट की जेब से बरामद 85000/-रूपये किये है, यह वहीं राशी है। पैन्ट की पीछे की जेब में रखे पर्श में मिले 1850/-रूपये के बारे में पूछा तो बताया कि यह राशी मैं अपने निजी खर्चे हेतू घर से लेकर आया था। उपरोक्त 85000/ं-रूपये एक लिफाफ में रखकर सीलमोहर कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिये गये। 1850/-रूपये राशी स्वयं के खर्चे के होने के कारण संदिग्ध डॉक्टर चमन प्रकाश के कहने पर उनके सहकर्मी डॉक्टर प्रवीण धानिया को राशी 1850/-मय पर्श व पर्श में रखे समस्त कार्ड के लौटाये गये। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द आकस्मिक चैकिग पूर्ण की गई। फर्द पर संबिंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.45 पीएम पर वाहन संख्या आर जे 02 सीसी 5873 कार निषान माइक्रा की आकस्मिक चैकिंग में वाहन में बैठे डॉक्टर चमन प्रकाश, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा की जामा तलाशी में 85000/-रूपये एमएलसी की एवज में लिये जाना संदिग्ध पाये जाने पर उक्त वाहन को धारा 102 सीआरपीसी में जरिये फर्द जब्त किया गया। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर थानाधिकारी पुलिस थाना ततारपुर जिला खैरथल तिजारा को तहरीर जारी कर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा को पुलिस थाना ततारपुर मे दर्ज प्रकरण संख्या 66/2024 में प्रकरण से संबंधित पत्रावली की फोटो प्रति चाही गई तों थानाधिकारी पुलिस थाना ततारपुर ने प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एमओ0 सीएचसी ततारपुर को एमएलसी0 हेतु जारी पत्र की प्रमाणित प्रति एवं प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वक्त करीब 07.30 पीएम पर

आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जाति जाटव उम्र 33 साल निवासी डी 417 सूर्यनगर अलवर हाल डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा द्धारा पुलिस थाना ततारपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 66/2024 में पुलिस थाना ततारपुर द्धारा प्रेषित की गई एमएलसी की तहरीर पर एमएलसी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की गहरी चोट नहीं दिखाने की एवजं में प्राप्त की गई रिश्वत राशी 85000/-रूपये दौराने आकस्मिक चैकिंग आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश की पहनी हुई पैन्ट की बगल की बायी जेब से बरामद होने पर इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत कारीत होना पाया जाने पर आरोपी को इनके द्धारा किये गये अपराध के बारे मे आगाह किया जाकर जरिये फर्द गिरफतारी गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री विकास कुमार से लिवाई गई, तो आरोपित के पास एक मोबाईल फोन वन प्लस बरंग हल्का ग्रीन आईएमईआई 867778064184750 एवं 867778064184743 जिसमें पहले स्लोट में जियो सिम जिसका नम्बर 6350692580 एवं दूसरे स्लोट में एयरटेल कम्पनी सिम जिसके नम्बर 9468683784 जो स्वयं के नाम होना बताई एवं उक्त मोबाईल फोन के अतिरिक्त कोई संदिग्ध दस्तावेज, राशि, कोई वस्तु बरामद नही हुये और नाही कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के उक्त मोबाईल वास्ते वजह सबूत होने से जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। वक्त करीब 08.30 पीएम पर गोपनीय सूत्र मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पुलिस थाना ततारपुर पर हाजिर आया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने सूत्र को समझाईस की गई की आपके मोबाईल फोन द्धारा संदिग्ध आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश एवं रिश्वत देने वाले व्यक्ति की वीडियो क्लिप बनाई गई है एवं मेरे से भी आपने वार्तालाप की है इस कारण आपका मोबाईल कार्यवाही मे वांछित होने के कारण वास्ते वजह सबूत जब्त किया जाना आवश्यक है। सूत्र द्धारा अवगत कराया कि मेरे गॉव में मौत हो गई है मै अभी आपको मोबाईल सुपुर्द कर गॉव जा रहा हॅू कल दिनांक 04.04.2024 को मोबाईल जब्ती की कार्यवाही करवा दूंगा। सूत्र के उक्त कथन पर सूत्र से उसका मोबाईल प्राप्त कर श्री सतीश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात वक्त 09.00 पीएम पर कार्यवाही में उपस्थित डॉक्टर प्रवीन धानिया, श्री प्रदीप कुमार निविदाकर्मी व श्री महेश कुमार प्रोपराईटर महेश मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर ततारपुर को रूखस्त देकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ के सदस्य तथा गिरफतार शुदा आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेश कुमार एवं एक प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना ततारपुर से रवाना होकर वक्त 11.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय भिवाडी पहुचां। कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी का मोबाईल एवं आकस्मिक चैकिग में जब्त राशि 85000/- रूपये शील्डशुदा श्री सतीश कुमार हैड कानि0 को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द किये गये। गिरफतार शुदा आरोपी को कार्यालय मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय 11.15 पीएम पर चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय भिवाडी के नाम तहरीर जारी कर गिरफतार शुदा आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा का स्वास्थय परीक्षण करवाने हेतु श्री सतीश कुमार हैड कानि0 एवं श्री निहाल सिह कानि0 के हमराह जरिये राजकीय वाहन मय चालक महेश कुमार कें राजकीय चिकित्सालय भिवाडी के लिए रवाना किया गया। दिनांक 04.04.2024 को वक्त 12.05 एएम पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 एवं श्री निहाल सिह कानि0 उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा गिरफतार शुदा आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश का स्वास्थय परीक्षण करवाकर हाजिर कार्यालय आये। गिरफतार शुदा आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय मे रूकवाया गया। वक्त 12.15 एएम पर दौराने आकस्मिक चैकिंग दिनांक 03.04.2024 को श्री रामजीत सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9782453502 से करवाई विडियोग्राफी की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन प्रति पैनड्राईव Sandisk 16 GB में संग्रहित करवाकर बाद मिलान तीन प्रति पैनड्राईव Sandisk 16 GB में से एक पैनड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में शील मोहर करवाकर मार्क पी-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व दूसरे पैनड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में शील मोहर करवाकर मार्क पी-2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एवं तीसरे पैनड्राईव को आईओ प्रति हेतू एक सफेद कपडे की थैली में खुली अवस्था में रखकर मार्क पी-3 अंकित किया गया। पैनड्राईव के सील्ड पैकिट मार्क पी-1 व पी-2 को जमा मालखाना करने हेतू श्री सतीश कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 11.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार तकनीकी सहायक द्धितिय, श्री विकास कुमार कार्यालय अधीक्षक द्धितिय व एसीबी स्टाफ के सदस्य श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री सतीष कुमार हैड कानि.11, श्री राजवीर सिंह कानि. 443, श्री रामजीत सिंह कानि. 206 एवं गिरफतार शुदा आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेष कुमार एवं एक प्राईवेट वाहन से मय लैपटॉप प्रिन्टर व संबंधित आवश्यक सामग्री एवं सूत्र से पूर्व में प्राप्त किया गया मोबाईल फोन हमराह लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर के लिए रवाना होकर समय 01.00 पीएम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर पहूंचा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित डॉक्टर श्री प्रवीन धानिया को आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश द्धारा पुलिस थाना ततारपुर द्धारा पुलिस थाना ततारपुर द्धारा प्रेषित तहरीर पर की गई एमएलसी रिपोर्ट एवं उक्त का सेवा विवरण चाहने हेतू पत्र दिये गये। जिस पर डॉक्टर श्री प्रवीन धानिया ने आरोपी डॉक्टर चमन प्रकाश द्धारा तैयार की गई एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस थाना ततारपुर से प्राप्त तहरीर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं आरोपित का सेवा विवरण प्रस्तुत किया। सेवा विवरण का अवलोकन करने पर आरोपित डॉक्टर चमन प्रकाश का नाम डॉ.

छमन प्रकाश अंकित किया हुआ है। उक्त नाम के विरोधाभास के बारे में डॉ. प्रवीन धानिया से पूछा गया तो बताया कि सर्विस रिकार्ड में उक्त का डॉ. छमन प्रकाश दर्ज है। बोल चाल की भाषा में यहां का समस्त स्टाफ डॉक्टर चमन प्रकाश के नाम से जानता है। इस प्रकार सेवा विवरण अनुसार आरोपित का नाम डॉ. छमन प्रकाश पाया गया। रिकार्ड शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात वक्त 01.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराही स्टाफ एवं गिरफतार शुदा आरोपी डॉक्टर छमन प्रकाश के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेश कुमार एवं एक प्राईवेट वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर से रवाना होकर समय करीब 02.00 पीएम पर घटनास्थल टॉल प्लाजा डहरा शाहपुर पर पहूंचा। घटनास्थल टॉल प्लाजा डहरा शाहपुर पहूंचा यहा घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। वक्त 02.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराही स्टाफ एवं गिरफतार शुदा आरोपी डॉक्टर छमन प्रकाश के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेष कुमार एवं एक प्राईवेट वाहन से घटनास्थल टॉल प्लाजा डहरा शाहपुर रवाना होकर समय करीब 03.00 पीएम पर कार्यालय एसीबी अलवर प्रथम अलवर पहूंचा। जहां पर तलविदा सूत्र उपस्थित मिले। अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान उपस्थित सूत्र से पूर्ण परिचय पूछा तो अपना नाम श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री सुबे सिंह जाति मेघवाल उम्र 26 वर्ष निवासी मैनपुर पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा होना बताया। उक्त श्री भूपेन्द्र से मन उप अधीक्षक पुलिस के पास भिजवाई गई सूचना एवं विडियों क्लिप के बारे में पूछा तो बताया कि मैने मेरे साथ आये श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति प्रजापत उम्र 47 वर्ष निवासी मैनपुर बास पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के मोबाईल में रिश्वत लेनदेन की विडियो क्लिप तैयार की थी। उक्त मोबाईल मैं आपको कल दिनांक 03.04.2024 को सुपुर्द कर गया था। सूत्र के साथ आये श्री जोगेन्द्र सिंह से पूछा तो बताया कि कम्पनी पोको सी 51 बरंग काला जिसके मोबाईल नम्बर 7357191591 एयरटेल व दूसरी सिम मोबाईल नम्बर 7742658972 वीआई कम्पनी की है। मै ड्राईवर का कार्य करता हूं। मेरी स्वयं की बोलेरो गाडी है। दिनांक 02.04.2024 मैं, आकूब खा व भूपेन्द्र एवं एक अन्य व्यक्ति जिसका मैं नाम नही जानता को मेरी गाडी से किराये पर सायंकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर तत्पश्चात अलवर नमन होटल के पास सूर्य नगर अलवर लेकर गया था। तत्पश्चात दिनांक 03.04.2024 को मैं, उपरोक्त व्यक्तियों को मेरी गाडी से किराये पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर प्रातः करीब 09-09.30 पर लेकर आया था। तक मेरा मोबाईल मेरे साथ आये भूपेन्द्र ने मेरी मोबाईल का विडियो रिकॉडिंग चालू कर मुझे बताया कि आकूब खा एवं डॉक्टर के मध्य होने वाली वार्तालाप व उनके मध्य होने वाले लेनदेन की विडियों रिकॉडिंग करनी हैं, तब मैने अपना मोबाईल चालू हालत में पहनी हुई शर्ट की सामने की बायी जेब में रख लिया था और उनके मध्य हुई वार्तालाप व लेनदेन को रिकार्ड कर लिया था। मोबाईल से हुई विडियों रिकाडिंग भूपेन्द्र ने मेरे मोबाईल से अपने मोबाईल पर ले ली थी। श्री भूपेन्द्र से पूछने पर उपरोक्त तथ्यो की ताईद करते हुये बताया कि मैनें मेरे मोबाईल नम्बर 7976288080 से घटना से समय समय पर अवगत कराया था एवं श्री जोगेन्द्र के मोबाईल से ली गई विडियो रिकॉर्डिग की क्लिप आपके मोबाईल नम्बर 8800511972 पर जरिये वाट्सएप भिजवाई थी। उक्त श्री भूपेन्द्र से आकूब खां के बारे में पूछा तो बताया कि आकूब खां ग्राम बडी का रहने वाला है। उनके परिवारजन के विरूद्ध पुलिस थाना ततारपुर में प्रकरण संख्या 66/2024 दर्ज हो गया था। उक्त मुकदमें में पुलिस थाना ततारपुर द्धारा भिजवाई गई तहरीर पर एमएलसी रिपोर्ट में गहरी चोट नहीं दिखाने की एवज में डॉक्टर छमन प्रकाश द्धारा 2,00,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की गई थी, तब मैने आकूब खां को ट्रेप कार्यवाही हेतू समझाया था। किन्तु वह उक्त कार्यवाही से अनभिज्ञ होने एवं पुलिस थाना ततारपुर एमएलसी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 लगाने की भय से कार्यवाही नहीं करवाना चाहता था। समय करीब 03.45 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री भूपेन्द्र के साथ आये श्री जोगेन्द्र का मोबाईल कम्पनी पोको सी 51 बरंग काला का जो कल दिनांक 03.04.2024 को श्री भूपेन्द्र द्धारा पेश किया गया था। उक्त मोबाईल हमराह है। मोबाईल के आईईएमआई नम्बर 864519064016243 मोबाईल नम्बर 7742658972 वीआई कम्पनी व दूसरे आईईएमआई नम्बर 864519064016250 मोबाईल नम्बर 7357191591 एयरटेल कम्पनी की है। उक्त मोबाईल के पासवर्ड 1234 है। उक्त मोबाईल में दिनांक 03.04.2024 को डॉक्टर छमन प्रकाश एवं आकूब खां के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन के समय की गई विडियोग्राफी मोबाईल की गैलरी के विडियों नम्बर 20240403-110246 में 01 मिनट 42 सैकण्ड की है। उक्त विडियो को पैनड्राईव में संग्रहित करने हेतू मोबाईल को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड कर तीन पैनड्राईव एचपी यूएसबी 32 जीबी में संग्रहित कर बाद मिलान तीन प्रति पैनड्राईव एचपी यूएसबी 32 जीबी में से एक पैनड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में शील मोहर करवाकर मार्क पी.डी.-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व दूसरे पैनड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में शील मोहर करवाकर मार्क पी.डी.-2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एवं तीसरे पैनड्राईव को आईओ प्रति हेतू एक सफेद कपडे की थैली में खुली अवस्था में रखकर मार्क पी.डी.-3 अंकित किया गया। मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली मे सील मोहर कर थैली पर मार्क-एम अंकित कर, थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पूर्ण कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। श्री भूपेन्द्र एवं श्री जोगेन्द्र को रूखस्त दी गई। सूत्र श्री भूपेन्द्र व जोगेन्द्र द्धारा दिनांक 03.04.2024 को आरोपी आकूब खां द्धारा आरोपी छमन

प्रकाश चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर को देने के लिए आरोपी प्रदीप कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत राशी आरोपी डा.छमन प्रकाश की उपस्थिति मे दी गई है ।की विडियो क्लिप जिस मोबाईल मे रिकार्ड की गई है तथा उपरोक्त तीनो आरोपीगणो की पहचान भी सूत्रो द्धारा की गई है आरोपी प्रदीप कुमार सविंदाकर्मी द्धारा उक्त प्राप्त की गई राशी रिश्वती राशी होने के तथ्यो की जानकारी के बाद प्राप्त करना तथा आरोपी आकूब द्धारा उक्त दोनो आरोपी गणो को रिश्वत दी गई है दी गई रिश्वत राशी के बारे मे एसीबी को कोई जानकारी नही दी गई तथा सूत्र श्री भूपेन्द्र को रिश्वत राशी देने के बारे मे बताने से मना करना । अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात व रिकार्ड तथा सूत्र श्री भूपेन्द्र एवं जोगेन्द्र द्धारा मोबाईल मे रिकार्ड विडियो क्लिप से आरोपी डॉक्टर छमन प्रकाश पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जाति जाटव उम्र 33 साल निवासी ग्राम पोस्ट श्रीनगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल निवासी डी 417 सूर्यनगर अलवर हाल डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा द्धारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री प्रदीप कुमार सविंदाकर्मी सीएचसी ततारपुर के मार्फत पुलिस थाना ततारपुर में आरोपी आकूब खां निवासी ग्राम बडी थाना ततारपुर जिला खैरथल-तिजारा के रिस्तेदारो के खिलाफ पुलिस थाना ततारपुर मे दर्ज अपराध संख्या 66/2024 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 354, 504, 447 भा.दं.सं. में पुलिस थाना ततारपुर द्धारा मेडिकल आफिसर सीएचसी ततारपुर को प्रेषित की गई तहरीर में मजरूब होशियार सिंह पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति अहीर उम्र 64 साल निवासी ग्राम बडी थाना ततारपुर के झगडे के दौरान शरीर पर आई चोटो का मेडीकल मुआयना कर एमएलसी रिपोर्ट में किसी प्रकार की गहरी चोट नहीं दिखाने की एवज में एक लाख रुपये प्राप्त की गई प्राप्त शुदा उक्त रिश्वत राशि मे से 85,000/-रूपये दौराने आकस्मिक चैकिंग आरोपी डॉक्टर की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बायी जेब से बरामद होने एंव प्रदीप कुमार निविदा कर्मी को पूर्ण जानकारी होने पर की आरोपी डाक्टर छमन प्रकाश द्धारा आकूब खान से उसे दिलवाई जा रही राशी रिश्वती राशी है फिर भी रिश्वती राशी प्राप्त करना तथा आकूब खान द्धारा आरोपी डाक्टर छमन प्रकाश के रिश्वत मांगने पर एसीबी को सूचना नही देने का दंडनिय अपराध कारित कर दुस्प्रेरण कर रिश्वत देना पाया जाने पर डॉक्टर छमन प्रकाश, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा व प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामोवतार जाति मेघवाल निवासी ग्राम बङली की ढाणी थाना ततारपुर जिला खेरथल तिजारा हाल निविदाकर्मी(कम्पयूटर आपरेटर) सीएचसी ततारपुर व आकूब खां निवासी ग्राम बडी थाना ततारपुर जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7,8 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधन 2018) व 120 बी भादस मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी 1-डॉक्टर छमन प्रकाश पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जाति जाटव उम्र 33 साल निवासी ग्राम पोस्ट श्रीनगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल निवासी डी 417 सूर्यनगर अलवर हाल चिकत्साअधिकारी सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल तिजारा 2- प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामोवतार जाति मेघवाल निवासी ग्राम बङली की ढाणी थाना ततारपुर जिला खेरथल तिजारा हाल निविदाकर्मी(कम्पयूटर आपरेटर) सीएचसी ततारपुर 3- आकूब खां निवासी ग्राम बडी थाना ततारपुर जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है। भवदीय, (परमेश्वर लाल) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्धितिय हाल भिवाडी। .....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों अलवर–द्वितीय, हाल भिवाडी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1- डॉ छमन प्रकाश पुत्र स्व.रामस्वरूप, निवासी ग्राम पोस्ट श्रीनगर, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर हाल डी–417, सूर्य नगर अलवर हाल चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ततारपुर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) 2- श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामोवतार निवासी ग्राम बडली की ढाणी थाना ततारपुर जिला खेरथल तिजारा हाल निविदाकर्मी (कम्पूटर आपरेटर) सीएचसी ततारपुर एवं 3- श्री आकूब खां, निवासी ग्राम बडी थाना ततारपुर जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 55/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार मीना, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर–प्रथम को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 67 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 262-66 दिनांक 05.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवायें राजस्थान, जयपुर। 3. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, ततारपुर, जिला खेरथल–तिजारा 4. उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर–द्वितीय, हाल भिवाडी । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/04/2024 18:12:25

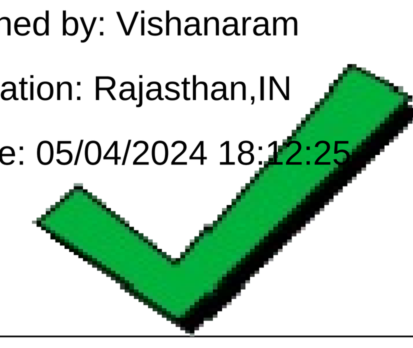

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/08/1989				
2	Male	15/07/1994				
3	Male	1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)